

ले ज गुरमीत सिंह

पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, बीएसएम (से नि)

राज्यपाल/कुलाधिपति,

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,

बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।



राजभवन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सं० : — /जी०एस०(शिक्षा)/C11-1/2015
देहरादून : दिनांक 12 अप्रैल, 2023

: आदेश :

एतद्वारा, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल के कुलपति पद के दायित्वों हेतु अन्तरिम व्यवस्था सम्बन्धी पूर्व आदेश संख्या : 3347/जी०एस०(शिक्षा)/C11-1/2015 दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 को अतिक्रमित करते हुए श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम-2011 के अध्याय-3 की धारा-10(2) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के क्रम में धारा-10(1) में कुलाधिपति में निहित शक्तियों के अधीन **प्रो० एन०के० जोशी** को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अग्रेत्तर तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल का कुलपति नियुक्त किया जाता है।

ह/—
(ले ज गुरमीत सिंह)
कुलाधिपति।

संख्या : 95 (1)/जी०एस०(शिक्षा)/C11-1/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. प्रो० एन०के० जोशी, मोहित नगर, देहरादून।
7. कुलसचिव, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय।
8. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
9. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Raman
(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव।